REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 6 | MARCH - 2018

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय मुस्लिम महिलाओं की स्थिति

डॉ. ज़किया रफत
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष , समाजशास्त्र विभाग,
आर.बी.डी. स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर.

सारांश–

गत दशकों में भारतीय समाज में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत विवादित रही है। चाहे वह वर्श 1985 में शाहबानों का विवाद रहा हो या अब सायरा बानो का, तीन तलाक का मुद्दा है। इसके अतिरिक्त इमराना प्रकरण, गुडिया प्रकरण, मुस्लिम महिलाओं के काज़ी बनने, हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर अनेक विवाद समय–समय पर उठते रहे है। इस सम्बन्ध में मौलवी, बुद्धिजीवी और नेताओं ने अपने–अपने तरीके से विचाराभिव्यक्ति दी है तथा विविध टी0वी चैनलों ने भी उक्त विषयों पर चर्चा आयोजित की है। हर प्रकरण पर पूरे देश में सवर्त्र बहस छिड़ी है। इस सब में उनकी स्थिति भ्रामक हुई है और उन्हें एक विचित्र प्राणी की तरह मान लिया गया है। यह खेद का विषय है कि समाजशास्त्रियों द्वारा भी उनकी स्थिति पर बहुत कम शोध किये गये हैं। वर्तमान समय में उनकी स्थिति को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखे जाने की महती आवश्यकता है। वर्तमान शोध लेख इसी दिशा में एक प्रयास है।

प्रस्तावना–

भारतीय सामाजिक क्षितिज पर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति गत वर्षो में अनेक बार विवादों के दायरों में घिरती रही है। हर बार बुद्धिजीवियों और उलेमाओं का एक बड़ा वर्ग उनकी स्थिति तथा अधिकारों को लेकर विचार मंथन की प्रक्रिया में लगा रहा। परिणामस्वरूप जितना अधिक विचाराभिव्यक्ति सर्वत्र हुई है, उतना ही अधिक उनकी स्थिति वास्तविक सामाजिक धरातल से कहीं बहुत ऊपर वैचारिक संसार में उलझ कर रह गयी है। मुस्लिम महिलाओं का यह दुर्भाग्य ही है कि उनसे सम्बन्धित विषय समाजशास्त्रीय अनुसंधान के क्षेत्र में लगभग उपेक्षित रहे हैं। अब तक जो थोड़े बहुत अध्ययन किये भी गये हैं, वह भी उनकी सामाजिक स्थिति व अस्तित्व को या तो धर्मग्रन्थों में तलाशते हैं, अथवा पूर्वाग्रहों का चश्मा पहनकर यथार्थ को आदर्श से धुंधला करते रहे हैं, परिणामस्वरूप स्थिति भ्रामक हुई है। उपर्युक्त में से कुछ अध्ययन, उन्हें अन्य महिलाओं से भिन्न विचित्र महिला की भांति समझते रहे हैं तथा उनकी अन्य समुदायों की महिलाओं से तुलना कर उन्हें पिछड़ा दर्शाते रहे हैं, और उनके इस पिछड़ेपन का दायित्व भी इस्लामिक कानूनों पर थोपते रहे हैं।[1] उनका मत है कि मुस्लिम समुदाय एक ही तरीके से इस्लामिक प्रत्ययों से निर्देशित होता है कोई भी कुरान और हदीस के सूत्रों की उपेक्षा नहीं कर सकता।[2] उत्तर भारत में मुसलमानों में धर्म उनके लौकिक और अलौकिक व्यवहारों को नियमित करता है।[3]

जबकि किसी के लिये भी यह धारणा रखना गलत होगा कि भारतीय मुसलमानों के सामाजिक जीवन पर शरीआ का पूर्ण प्रभाव है अथवा यह कि वह औपचारिक धार्मिक संहिता जिनसे जुड़े होने का दावा मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं, वह एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है।[4] समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह भी पूछे जाने योग्य है कि मुस्लिम महिलाओं का जो निराशाजनक चित्रण किया जाता है, क्या वह वर्तमान सामाजिक

यथार्थों के अनुरूप है? क्या उनसे जुड़े पूर्वाग्रह इतने कठोर हैं कि उनकी पूर्णतया व्याख्या धार्मिक या कानूनी संहिता के अनुसार की जा सके।[5]

क्या मुस्लिम महिलायें उसी सामाजिक ताने–बाने का अंग नहीं है? जिसके कारण न केवल मुस्लिम महिलायें अपितु लगभग सभी भारतीय महिलायें पूर्वाग्रह ग्रस्त प्रतीत होती है।[8] वास्तव में मुस्लिम महिलायें भी भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है तथा वह भी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों से वैसे ही प्रभावित होती है जैसे कि दूसरे सभी व्यक्ति।[9] मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को दो प्रकार से देख सकते हैं – प्रदत्त व अर्जित।

प्रदत्त स्थिति से अभिप्राय है कि संविधान तथा शरीआ एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा उन्हें जो स्थिति मिली है इसके अन्तर्गत मेहर, विवाह, तलाक, बच्चों की देखभाल, सम्पत्ति और उत्तराधिकार आते हैं, जबकि अर्जित स्थिति के अन्तर्गत उनके ज्ञान के प्रकार्य, उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तनों की पहचान और समझ, छात्र, माँ, पत्नी और कैरियर वुमैन के रूप में उनकी बहुपक्षीय भूमिकाओं में सम्बन्ध की क्षमता से है।[10]

यद्यपि भारत में मुस्लिम महिलाओं को शरीआ में अधिकार शून्य नहीं किया गया परन्तु फिर भी वे उसके द्वारा प्रदत्त स्थिति का समुचित लाभ नहीं उठा पायी।[11] जहाँ तक पारिवारिक जीवन में विवाह, तलाक और सम्पत्ति के वितरण का सम्बन्ध है, शरीआ की उपस्थिति को बहुत अधिक उपेक्षित किया गया है।[12]

सामान्यतः धर्म और धार्मिक ग्रन्थ मात्र एक आदर्श स्थिति का विवरण देते हैं जबकि यथार्थ इससे भिन्न है। आदर्श को यर्थाथ से भिन्न कर लेना एक बहुत बड़ी भूल है। आदर्श को यर्थाथ से संयुक्त कर देना अथवा यर्थाथ का पर्याय मान लेने से समाजशास्त्रीय अवबोध अपनी प्रकृति खो सकता है। अतः महिलाओं की सामाजिक स्थिति की यथार्थता उन सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के संदर्भ में विश्लेषित करने की आवश्यकता है जिसमें वे रहती हैं और समुदाय के अंग के रूप में उतनी ही प्रभावित होती है जितनी कि अन्य समुदायों की महिलायें।[13]

सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनकी स्थिति का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि **विवाह** में शरअन उनकी सहमति ज़रूरी है परन्तु व्यवहार की स्थिति बहुत भिन्न है। विवाह सम्बन्ध तय करने का दायित्व माता–पिता का है और वे स्वेच्छा से उनका विवाह सम्बन्ध जहां भी तय कर देते हैं, वे वहीं सहमत हो जाती है।[14] सामान्यतः रिश्ता ना पसन्द होने की स्थिति में वे स्वयं मना नहीं कर सकती है।[15]

मेहर सभी मुस्लिम समाजों में जीवन साथी के चयन की प्रक्रिया में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुस्लिम विवाह तब तक वैध नहीं माना जाता तब तक वह वर पक्ष से विवाह अनुबंध के प्रतिफल के रूप में मेहर वधू को न मिल जाये या देने का वायदा न किया जाये। कुरान में स्पष्ट आदेश दिया गया है ''फिर जो वैवाहिक जीवन का आनंद तुम उनसे उठाओ इसके बदले में उनके मेहर कर्तव्य के रूप में अदा करो।''[16] इस आदेश के बावजूद महिलाओं की मेहरों के सम्बन्ध में बहुत निम्न स्थिति है। हुसैन (2002) ने दरभंगा (बिहार) के अध्ययन में पाया कि वहां 42 प्रतिशत महिलाओं को अपने मेहर की रकम की जानकारी नहीं है। केवल 5 प्रतिशत महिलाओं ने अपना मेहर भूमि, मकान या ज़ेवर के रूप में वसूल किया है।[17] रफत (2007) ने भी बिजनौर नगर के अपने अध्ययन में पाया कि 250 में से मात्र 5 महिलायें ही अपने मेहर की रकम प्राप्त कर सकी हैं।[18] मेहर की रकम कितनी भी न्यून क्यूं न हो।[19] पति उसे अदा नहीं करना चाहते। मेहर की रकम का निर्धारण दोनों परिवारों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है। जबकि इस्लामी परिप्रेक्ष्य में इसका निर्धारण वर की आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिये। लेकिन व्यवहार में शिवानी राय ने अपने दिल्ली व लखनऊ में महिलाओं पर किये गये अध्ययन में पाया कि यह वर–वधू के परिवार की स्थिति के अनुसार निर्धारित किये जाते है।[20] मेहर की रकम कम हो या अधिक, अधिकतर पति सुहागरात में ही पत्नी से मेहर माफ करवा लेते है।[21]

तलाक सम्बन्धी अनेक अध्ययनों[22] से पता चलता है कि तलाक के बाद अधिकांश केसों में महिलायें मेहर प्राप्त नहीं कर सकी हैं। वैसे भी यह रकम इतनी कम है कि उनको लम्बे समय तक आर्थिक स्वतन्त्रता उपलब्ध नहीं कर सकती है।[23]

जफरी (2003) के अध्ययन से पता चलता है कि बिजनौर में मेहर को विवाह के कुछ दिन बाद ही भुला देते हैं। गाँव में मेहर कौन देता है वे मेहर नहीं देते, यद्यपि वे तलाक देते हैं।[24] अय्यूब (2008) ने अपने अध्ययन में पाया कि एक बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलायें तलाक शब्द से नफरत करती है।[25] जहाँ तक तलाक देने की स्थिति का प्रश्न है भारत में पति द्वारा दिये गये हैं। रफत (2007) ने संकेत किया है कि तलाक के 53 केसों में से 81 प्रतिशत पति द्वारा दिये गये जबकि 9 प्रतिशत पत्नी द्वारा (खुला) लिये गये है।[26]

तलाक उपरान्त तलाकशुदा महिलाओं की दशा बहुत शोचनीय होती है क्योंकि पति द्वारा मेहर व इद्दत की अवधि में गुजारा भत्ता न मिलने के कारण वे अपने माता–पिता तथा भाईयों के पास वापिस लौट आती है और जो ऐच्छिक व अनैच्छिक रूप से उनके दायित्व को अपने कन्धों पर उठाते हैं।[27] महिलायें स्वयं आत्मनिर्भर न होने की दशा में सीमित आय के स्रोतों के कारण उन पर बोझ बन कर रहती है।[28] इतना ही नहीं तलाक हो जाने के बाद इक्का दुक्का महिलाओं को छोड़कर अधिकतर का पुनर्विवाह नहीं होता है।

दहेज : इस्लाम में लड़कियों को दहेज देने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन भारतीय मुस्लिम समुदाय में विवाह के समय लड़कियों को दहेज देने का विस्तृत प्रचलन है।[29] परम्परागत रूप से माता–पिता से दहेज प्राप्त करना लड़कियों का जन्म सिद्ध अधिकार है।[30] देश के विविध भागों में किये गये अध्ययनों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। मोइउद्दीन (2003)[31] ने पश्चिम बंगाल के दो गांव मुर्शिदाबाद तथा वर्द्धमान के अध्ययन में पाया कि 103 सूचनादाताओं में से 80.47 प्रतिशत ने दहेज दिया है। यह नकद, ज़ेवर तथा भूमि के रूप में होता है तथा विवाह की तारीख निश्चित करने से पूर्व ही तय कर लेते हैं। यह परिवार–परिवार तथा स्थान–स्थान के अनुसार भिन्न–भिन्न होता है। सिल्विया बलुक[32] ने भी निष्कर्षित किया है कि विवाह के अवसर पर माता–पिता अपनी बेटी, उसके पति और उसके ससुराल वालों को नकद, स्वर्ण और रजत आभूषण वस्त्र और अन्य सामान दहेज के रूप में देते हैं। विवाह के जश्न और उसकी दावत में खुलकर खर्च करते हैं। रफत (2007)[33] ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित बिजनौर नगर के अध्ययन में पाया कि मुस्लिम समुदाय में दहेज का अत्यधिक प्रचलन है फलस्वरूप दहेज ने एक समस्या का रूप धारण कर लिया है। मुस्लिम समुदाय में वर पक्ष वाले उन्हीं लड़कियों के परिवारों में रिश्ता देते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है ताकि बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाये। दहेज न दे पाने की स्थिति में समुदाय में बहुत सी लड़कियाँ कुंवारी बैठी हैं तथा कम दहेज लाने के कारण उनका उत्पीड़न किया जाता है।[34]

सम्पत्ति अधिकार :

इस्लाम द्वारा महिलाओं को सम्पत्ति में दोहरा अधिकार प्राप्त है। पति व पिता दोनों की सम्पत्ति में उनका हक रखा गया है।[35] परन्तु व्यवहार में यह देखा गया है कि महिलाओं को पिता की सम्पत्ति में हिस्सा विशिष्ट परिस्थितियों में ही मिलता है। रफत ने 1994 में अपने शोध कार्य के दौरान जनपद बिजनौर के क्षेत्र अध्ययन में पाया कि 50 परिवारों में से केवल 19 परिवारों में महिलाओं को हिस्सा मिला है।[36]

शिक्षा :

''पैग़म्बर ने कहा था कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए चीन ही जाना पड़े।'' परन्तु फिर भी मुस्लिम समुदाय में शिक्षा प्राप्ति के प्रयास सबसे कम है।[37] हसन तथा मेनन (2001) ने 42 जिलों में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति ज्ञात करने के लिए कराये गये सर्वेक्षण में पाया कि 75 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित है।[38] उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जनसंख्या में 14 प्रतिशत की जनसंख्या मुस्लिमों की है लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4.4 प्रतिशत छात्र/छात्राएं नामित है।[39] आज भी परम्परागत रूढ़िवादी मानसिकता महिला शिक्षा को गैर जरूरी मानती है।[40] वे महिला शिक्षा को महत्व नहीं देते है।[41] सम्पूर्ण समुदाय में महिलाओं के निम्न शैक्षिक स्तर के लिए लड़कियों की शिक्षा का निम्न प्रकार्यात्मक मूल्य, पर्दा और पृथक्करण[41] शिक्षित लड़कियों को उचित वर न मिल पाना[42] दहेज में वृद्धि[43] आदि कारक उत्तरदायी है।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि भारतीय मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति इस्लाम धर्म के मूलभूत प्रावधानों से भिन्नता लिए हुए हैं। वर्तमान में उनकी स्थिति में परिवर्तन दिखायी पड़ रहे हैं यद्यपि यह

प्रक्रिया काफी धीमी है। नगरीकरणी, पश्चिमीकरण आधुनिक शिक्षा, मोबाइल, इंटरनेट आदि के कारण उनमें अनेक परिवर्तन आ रहे है।

संदर्भ–

1. ज़किया रफत, ''मुस्लिम महिलाओं की स्थिति निरन्तरता और परिवर्तन'', अनपब्लिश्ड पी–एच0डी0 थीसिस, एम0जे0पी0रू0वि0वि0, बरेली, 1994 प्राक्कथन.
2. मुईन शाकिर ''स्टेटस आफ वुमैन : इस्लामिक व्यू'', सोशल साइंटिस्ट, 70.
3. शिवानी राय, ''चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मुस्लिम वुमैन इन नार्थ इंडिया'', दिल्ली : डी0के0 पब्लिकेशन्स, 1979, 2.
4. इम्तियाज अहमद, ''फैमिली, किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया'', दिल्ली : मनोहर बुक सर्विस, 1976, XX.
5. वही.
8. वही.
9. रफत, पूर्वोक्त प्राक्कथन.
10. शाहिदा लतीफ : ''मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया एंड द स्टेट्स ऑफ मुस्लिम वुमैन'', इन इम्तियाज अहमद सम्पादित, मॉडर्नाजेशन एंड सोशल चेंज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया'' (नई दिल्ली : मनोहर बुक्स), 1983, 153.
11. वही, 166.
12. आर0 लेवी ''द सोशल स्ट्रक्चर आफ इस्लाम'', कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, 1962, 55.
13. जकिया रफत, पूर्वोक्त, 1994, 31–32.
14. सबीहा हुसैन, ''मेल प्रीविलेज फीमेल एनग्यूइश : डाइर्वोस एंड रिमैरिज अमंग मुस्लिम्स इन बिहार'' इन इम्तियाज़ अहमद (सम्पादित) डाइर्वोस एंड रिमैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया, नई दिल्ली : मनोहर बुक्स, 2003, 268.
15. ज़किया रफ़त, ''मुस्लिम विवाह सिद्धान्त एवं व्यवहार'', नई दिल्ली : दानिश बुक्स, 2007, 66.
16. कुरान 4 : 24.
17. सबीहा हुसैन पूर्वोक्त, 269.
18. ज़किया रफ़त पूर्वोक्त 2007, 129.
19. रफत (2007), ''बिजनौर नगर के अध्ययन में अजलाफ जातियों के निर्धन परिवारों में मेहर की रकम 25 रू0, 125 रू0 तथा 500 रू0 तक देखी गयी। पैट्रीशिया जफरी ने दिल्ली स्थित निजामुददीन क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं के अध्ययन में मेहर की रकम रू0 115 व रू0 128 तक पायी.
20. शिवानी राय, पूर्वोक्त, 82–83.
21. पैट्रीशिया जफरी, 1979, 8, जकिया रफ़त, 2007, 129. रफत ने पाया कि बिजनौर में 245 पतियों ने सुहागरात में ही मौखिक रूप से अपनी पत्नियों से मेहर माफ करवा लिये.
22. अहमद तथा घोष, 1994 : 178–80 इंजीनियर 1992 : 111–13, हुसैन, 1976 : 119–37, 193–4, जैकब्सन 1976 : 185, 207 तथा 1995 : 187, जफरी 1979, 57–9 तथा 2003–मान 1994 : 154–6 तथा 1992 : 69 पैपेनेक 1982, 24–5, सिंह 1992–81, दास गुप्ता 2008 : 70, रफत 2003 : 89.
23. अनिन्दता दास गुप्ता, ''बिटविन टू वर्ड्स : डाइर्वोस अमंग आसमिया मुस्लिम्स इन इंडिया'' इन इम्तियाज अहमद, 2003, 70.
24. पैट्रीशिया–इन इम्तियाज अहमद 2003–114.
25. मौहम्मद अय्यूब, ''मुस्लिम महिलाएं और सामाजिक परिवर्तन'', नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन्स, 2008, 49.
26. जकिया रफत इन इम्तियाज अहमद पूर्वोक्त 2003, 87.
27. मुनीजा रफीक खान : 'मेहर एंड डाइर्वोस अमंग मुस्लिम्स इन मिर्जापुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ इस्टर्न उत्तर प्रदेश'', इन (इम्तियाज अहमद) 2003, 341.
28. रफत, अहमद 2003, 198.

29. शाह टाइम्स, बिजनौर 31 मार्च 2011.
30. आरिफा कुलसूम जावेद, मुस्लिम सोसाइटी इन ट्रांजिशन, नई दिल्ली, कामन वैल्थ पब्लिशर्स, 1992, 123.
31. एस0ए0एच0, मुईउद्दीन, ''डाइर्वोस एंड सैपरेशन अमंग मुस्लिम्स इन वेस्ट बंगाल'' इन इम्तियाज अहमद सम्पादित – 2003, 169.
32. सिल्विया बलुक, ''मुस्लिम वुमैन इन द इंडियन फैमिली कोर्ट्स,'' 147.
33. ज़किया रफत, पूर्वोक्त 2007, 131, दहेज समस्या के लिए आये दिन के समाचार पत्र देखे, दहेज उत्पीड़न मामला दर्ज, शाह टाइम्स, 14 अप्रैल 2011, विवाहिता को निकाला, शाह टाइम्स 17 अप्रैल 2011, ज़हर देकर मारने का आरोप जड़ा, अमर उजाला, 21 अप्रैल 2011.
34. वही, 336.
35. कुरान 4 : 11–12, वी0आर0 एण्ड बीवेन जोन्स, ''वुमैन इन इस्लाम'', लखनऊ, 1941, 238–44.
36. रफत, 1994, 92–94, पैट्रीशिया जफरी, पूर्वोक्त, 1979, 56.
37. शुऐब अहमद फैसल 'मुस्लिम एजुकेशन : कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस'' मुस्लिम एजुकेशन रिव्यू, वॉल्यूम–1, 1999, 11–13.
38. जोया हसन व रितु मेनन, (2005), एजुकेटिंग मुस्लिम गर्ल्स : ए कम्पैरिजन ऑफ फाइव इंडियन सिटीज, काली अनलिमिटेड, नई दिल्ली.
39. बाहरी चारू (2016) ''उच्च शिक्षा सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर पिछड़ी जनजाति और मुस्लिम'' इंडिया स्पैड, जुलाई 18, 2016.
40. मुकेश कुमार शर्मा ''भारत में महिला साक्षरता की स्थिति'', कुरूक्षेत्र, सित0 2004, 24–26.
41. योगिन्दर सिकन्द, पूर्वोक्त.
42. सबीहा हुसैन, पूर्वोक्त 2000, जोया हसन व रितु मेनन, पूर्वोक्त 2005.
43. जोया हसन एंड रितु मेनन, पूर्वोक्त।